संख्या-1-1961/86-2014-82/2013

प्रेषक,

संतोष कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 31 जुलाई, 2014

विषय- खनन पट्टा अथवा खनन अनुज्ञा पत्रकी बाधित अवधि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली,, 1963 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टा अथवा खनन अनुज्ञापत्र की स्वीकृति अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त मूल अवधि के मध्य किन्हीं कारणों से खनन कार्य न किये जाने की स्थिति में बाधित अवधि अनुमन्य कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में कोई प्राविधान उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या-22890/2002 बेगराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 एस0 सी0 सी0-1 एस0सी0सी0726 में प्रतिपादित सिद्वान्त निम्नवत् है-

"The delay in final decision cannot, in any manner, be attributed to the petitioner, No auction has taken place. No third-party interest has been created. The sand mine has remained unoperated for the period for which the period of operation falls short of three years . The operation had to be stopped because of the order of the State Government intervening which order has been found unsustainable in accordance with stiputations contained in the mining lease consistently with GO issued by the State of uttar pradesh Merely because a little higher revenue can be earned by the State Government that cannot be a ground for not enforcing the obligation of the State Government which it has incurred in accordance with its own policy decision"

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि यदि किसी खनन क्षेत्र में किसी तृतीय पक्ष का अधिकार उत्पन्न न हुआ हो तथा क्षेत्र रिक्त हो और यह स्थापित होता है कि बिना पट्टाधारक की त्रुटि के उसे खनन कार्य करने से किसी अवधि के लिए रोका गया है तब खनन रोके जाने की अवधि को बाधित अवधि मानते हुए उक्त अवधि के समतुल्य अवधि राज्य सरकार द्वारा पट्टाधारक को खनन कार्य हेतु प्रदान की जा सकती है।

कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सन्तोष कुमार)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-1961(1)/86-2014 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/खनन अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश।

4- अनुभागीय गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in